न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/504
मिसलनम्बर– 46 / 2023

1.भंवरलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति खटीक आयु 94 वर्ष निवासी 777 कंकरेश्वर मंदिर के पास कुन्हाड़ी कोटा
–प्रार्थी।

बनाम

1.रामगोविंद पुत्र श्री भंवरलाल जाति खटीक आयु 45 वर्ष निवासी 777 कंकरेश्वर मंदिर के पास कुन्हाड़ी कोटा
–अप्रार्थी

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/11/24

उपस्थिति:–

1.श्री अशोक चौधरी प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी 94 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी अपने पुत्र राधाकिशन के साथ हनुमान मंदिर अखाड़े के पास, कुन्हाड़ी, कोटा में निवास करता है। प्रार्थी का छोटा पुत्र अप्रार्थी रामगोविन्द व उसकी पत्नी प्रेम बाई झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो प्रार्थी व उसकी पत्नी से अभद्र व्यवहार करते है एवं आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है एवं मारपीट पर उतारू हो जाते है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी प्रार्थी व उसकी पत्नी से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौच करते है। प्रार्थी व उसकी पत्नी ने अपने सभी पुत्रों का अलग–अलग बंटवारा कर दिया था, जिन्होंने अपने अपने हिस्से को राधेश्याम व रामगोविन्द ने बेचान कर दिये। प्रार्थी अपने पुत्र राधाकिशन के साथ कंकरेश्वर महादेव मंदिर के पास, कुन्हाड़ी में निवास कर रहे है, उक्त मकान को प्रार्थी द्वारा किये गये बंटवारे के अनुसार राधाकिशन को दिया जाना निश्चित किया हुआ है। अप्रार्थी रामगोविन्द अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने हिस्से के प्लॉट को बेचकर प्रार्थी के राधाकिशन को दिये प्लॉट पर बने मकान के पिछले हिस्से में जबरन निवास कर रहा है। राधाकिशन के द्वारा बनाया गया मकान प्रार्थी के नाम है, जिसको प्रार्थी के द्वारा राधाकिशन को बंटवारे में दे रखा है, जिसमें अप्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं है, परन्तु अप्रार्थी व उसकी पत्नी इस मकान को हड़पना चाहते है। अप्रार्थी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा है, जिसको चुकाने के लिये प्रार्थी को परेशान किया जाता है, जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी के द्वारा लिया गया काफी कर्जा चुकाया गया है। प्रार्थी प्रारंभ से ही अपने पुत्र राधाकिशन के साथ निवास करता है, राधाकिशन प्रार्थी व उसकी पत्नी की सार संभाल करता है एवं हारी– बीमारी में दवा का प्रबन्ध करता है, परिवार में बहिन–बेटियों का सारा खर्चा भी प्रार्थी का पुत्र राधाकिशन ही संभालता है, परन्तु प्रार्थी का सबसे छोटा पुत्र अप्रार्थी रामगोविन्द व उसकी पत्नी प्रेम बाई बेईमानी व चालाकी से जबरदस्ती प्रार्थी, उसकी पत्नी व राधाकिशन व उसके परिवार को परेशान करता है। अप्रार्थी व उसकी पत्नी की हरकतों को प्रार्थी व उसकी पत्नी ने काफी सहन किया, लेकिन जब अप्रार्थी का व्यवहार व कृत्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

असहनीय हो गये तो प्रार्थी व उसकी पत्नी के द्वारा दिनांक 24.11.16 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर के यहां परिवाद दिया था, परन्तु अप्रार्थी व उसकी पत्नी की हरकतों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। दिनांक 01.01.2023 को अप्रार्थी व उसकी पत्नी ने एकराय होकर अपनी पुत्री के सहयोग से प्रार्थी के पुत्र राधाकिशन के मकान पर लगे हुए टीनशेडों को नीचे गिरा दिया और आने जाने का रास्ता बंद कर दिया तथा प्रार्थी व उसके पुत्र राधाकिशन पर दबाब बनाया कि आत्महत्या कर झूठे केसों में फंसा देगें और जीना मुश्किल कर देगें, जिससे प्रार्थी व उसका पुत्र राधाकिशन घबरा गये और दिनांक 04.01.2023 को थाने में शिकायत कराई, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थी व उसकी पत्नी प्रार्थी व उसकी पत्नी व पुत्र राधाकिशन को किसी ना किसी बात पर टोर्चर करने लगे, उनकी हरकतें इतनी बढ़ गयी कि प्रार्थी व उसकी पत्नी ने अत्यधिक दुखी होकर दिनांक 17.03.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, कोटा के यहां एक परिवाद दिया, जो कि क्रमांक 482 पर दर्ज हुआ, परन्तु पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा द्वारा आज तक अप्रार्थी के उपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि दिनांक 19.3.2023 को अप्रार्थी व उसकी पत्नी ने प्रार्थी व उसकी पत्नी के उपर छत पर चढ़कर पत्थर फेंके, जिससे प्रार्थी की पत्नी के पांव में चोट लगी, ऐसे में यदि सिर पर पत्थर लग जाता तो प्रार्थी की पत्नी की जान भी जा सकती थी। अप्रार्थी व उसकी पत्नी प्रार्थी को धमकियां देते है कि "मकान खाली कर दो, यदि तुमने हमारे खिलाफ कार्यवाही की तो झूठे केसों में जेल में चक्कियां पिसवा देगें" एवं गन्दी– गन्दी गालिया दी गई, गैस की टंकी से मकान को उड़ाने की धमकियां दी गई। अप्रार्थी की पत्नी प्रेम बाई ने प्रार्थी की पत्नी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी व उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 20.03.2023 को श्रीमान् महानिरीक्षक, कोटा में की गई। अप्रार्थी, प्रार्थी व उसकी पत्नी व पुत्र राधाकिशन को मकान से बेदखल करने की धमकियां देता है, जबकि प्रार्थी, उसकी पत्नी व पुत्र राधाकिशन के पास रिहाई । हेतु उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के मकान नं० 777, कंकरेश्वर मंदिर के पास, कुन्हाड़ी, कोटा (राज) से अप्रार्थी को बेदखल किये जाने हेतु आदेशित किया जावे और अप्रार्थी को उनके कृत्यों के लिये लिये दण्डित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पास एक रिहायशी मकान है जिसमे प्रार्थी स्वंय अपने बडे पुत्र व पत्नी के साथ निवास करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त रिहायशी मकान के पास ही एक अन्य मकान जिसमे अप्रार्थी अपने पत्नी और बच्चो के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करता चला आ रहा है। प्रार्थी के तीन पुत्र व दो पुत्रियां मौजूद है बडा पुत्र अलग निवास करता है जिसने अपनी वसीयत अनुसार अलग हिस्सा प्राप्त कर अलग निवास करने लग गया क्योकि प्राथी ने दिनांक 27–3–2023 को एक वसीयत आलेखित की थी उस वरीयत मे यह आलेखित हुआ था कि अप्रार्थी को एक भुखण्ड जो कि कई वर्ष पूर्व दे चुका हूं यह आलेखित कर दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी को कभी भी नही दिया गया ऐसा कोई सबूत प्रार्थी के पास नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थी को कोई भूखण्ड दिया गया हो। प्रार्थी ने जो वसीयत आलेखित की है उसमे अप्रार्थी के कहीं पर हस्ताक्षार नही है इससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी को कोई भुखण्ड नही दिया गया। प्रार्थी का बडा पुत्र राधाकिशन जिसके पास प्रार्थी व उसकी पत्नी निवास कर रहे है जो अपने पास वाले मकान मे निवास कर रहे है। राधाकिशन आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसकी पत्नी ने उससे तंग आकर आत्महत्या कर ली थी उसका एक पुत्र है जो कि विवाहित है लेकिन उसकी पत्नी भी साथ निवास नही करती क्योकि उसका चाल चलन व व्यवहार ठीक नही है जो नशे का आदी है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सुबह ही शराब का सेवन कर लेता है शाम को गांजा पी लेता है कोई काम धन्धा नही करता बल्कि हमेशा इस प्रयास मे रहता है कि कब अप्रार्थी को उसके पत्नी बच्चो के साथ घर से निकाला जावे क्योकि अप्रार्थी की पत्नी झाडू पौछे का काम करती है जिसकी तीन पुत्रियां है जिन्हे मेहनत मजदूरी कर शिक्षा दिला रहे है उनका पालन पोषण कर रहे है जबकि राधाकिशन की हरकते इतनी गंदी है कि छत से कूदकर कई मर्त्तबा मौका देखकर अप्रार्थी की पत्नी को देखता है नहाते समय उपर से बाथरूम मे झांकता है अप्रार्थी की पत्नी कई बार संबन्धित थानाधिकारी को लिखित मे दे चुकी है। अप्रार्थी की पत्नी ने दिनांक 08.08.2023 को जब अप्रार्थी दैनिक मजदूरी के लिए घर से बाहर निकला तो मौका देंखकर सुबह नशे मे धुत्त होकर राधाकिशन अप्रार्थी की पत्नी व बच्चो को देखकर घर मे घुस गया समान फेंकने लगा बार बार यह कह रहा था कि मेरे पर कर्जा है इस मकान को बेचान कर कर्जा चुकाना चाहता हूं। अप्रार्थी की टीवी फोड दी, स्टेण्ड से कूलर गिरा दिया बिस्तर बाहर फेंकने लगा अप्रार्थी की पत्नी अपने आपको बचाने लगे शोर शराबा हुआ मोहल्ला इकद्ठा हो गया। अप्रार्थी की पत्नी के शरीर पर खरोंच के निशान कारित हो गए अविलम्ब अप्रार्थी की पत्नी ने 100 नंबर पर फोन किया कुन्हाडी थाने से गाडी आयी और पुलिसकर्मी राधाकिशन को बिठा कर ले गए उसके विरूद्ध धाश 452,323,354,384 आई पी सी मे प्रकरण दर्ज हुआ जो कि अभी अनुसंधानरत है इससे पूर्व भी अप्रार्थी व उसकी पत्नी ने राधाकिशन के विरूद्ध शांतिभंग मे कार्यवाही की थी जहां से वह पाबंद चल रहा है उसके बावजूद भी उसके प्रयास है कि वह अप्रार्थी को मय परिवार घर से बेदखल कर देवे। प्रार्थी ने कई बार रोकर अप्रार्थी की पत्नी के सामने यह कहा है कि बडा पुत्र राधाकिशन नशे की स्थिति मे सब बर्बाद कर चुका है पत्नी को मार चुका है बच्चे की पत्नी को भगा चूका है अब तुम्हे भगाना चाहता है मेरे जीते जी मै ऐसा नही होने देना चाहता हूं नही तो यह सब बेचकर तबाह कर देगा मुझे डरा धमका कर जबरन यह कार्यवाही की गयी है मै इस कार्यवाही के पक्ष मे नही हूं ना ही ऐसी कार्यवाही चाहता हूं अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तत की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को वर्णित मकान 777 कंकरेश्वर मंदिर के पास कुन्हाड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान 777 कंकरेश्वर मंदिर के पास कुन्हाड़ी कोटा में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक: 28/11/23 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
को